आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 08/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जना स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय–101–102, प्रथम तल, गुमान टॉवर, नेशनल हेण्डलूम के पास, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र दुर्गा प्रसाद स्वामी,
2. मधु रामावत पत्नी राजेन्द्र कुमार स्वामी,

पता:– वैष्णव भवन, स्वामी मोहल्ला, पंचायत भवन के पास, मोरीजा, चौमूं, जयपुर

एवं प्लॉट नं. 45, सनराईज योजना, यूनिट नं. एस–01, द्वितीय तल, ग्राम निवारू, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

उपस्थित:–

1. श्री बी. पी. गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री राजीव शर्मा, अधिवक्ता, केवियटकर्त्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

आदेश दिनांक: 24.07.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 15.12.2021 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार स्वामी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 45, सनराईज सिटी योजना, ग्राम निवारू, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित फ्लेट नं. एस–01, क्षेत्रफल 910 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 17,60,990/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.11.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। केवियटकर्त्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा उपस्थित है। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 17,60,990/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 20,31,215/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.11.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निस्तारण/सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है।

5. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार स्वामी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 45, सनराईज सिटी योजना, ग्राम निवारू, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित फ्लेट नं. एस-01, क्षेत्रफल 910 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 24.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner